न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: गोपाल लाल बंजारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2023

उनवान मुकदमा

1 श्रीमती कस्तुरी पत्नी श्री सुखलाल कलाल उम्र 60 वर्ष , जाति कलाल निवासी 6/24 खान्दु कॉलोनी बांसवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील एवं जिला बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थी वकील :– श्री अशोक मेहता

आदेश

दिनांक : 12.02.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य एवं चाातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 21 (नया) 51 (पुराना) के सर्वे नम्बर 210 रकबा 3 बीघा 5 बीस्वा लगानी रूपया 2.44 वाके मौजा छत्रसालपुर तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी ग्राम छत्रसालपूर पटवार क्षेत्र भापोंर भू–अभिलेख निरीक्षक में प्रार्थीया का नाम कचरी पत्नी श्री सुखलाल कलाल निवासी खान्दु कॉलोनी बासवाडा दर्ज हैं। प्रार्थीगण के संलग्न दस्तावेज के आधार कार्ड संख्या 8969 5241 8397 है जिसमें प्रार्थीया का नाम कस्तुरी पत्नी सुखलाल दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार कार्ड और जमाबन्दी में नाम अलग अलग दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को खाद–बीज लेने व फसल बीमा करवाने में कठिनाई हो रही है। जबकि वास्तव में प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी में कस्तुरी पत्नी सुखलाल दर्ज होना चाहिये था ऐसी स्थिति में जमाबन्दी ग्राम छत्रसालपूर पटवार क्षेत्र भापोंर भू–अभिलेख निरीक्षक में गलत इन्द्राज हो गया है। जिसके नाम दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत है।

मौके पर आज भी प्रार्थीया काबीज होकर काश्त कर रही है एवं रेकॉर्ड दुरस्ती कराना आवश्यक हैं। रेकॉर्ड दुरस्ती से कोई विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना नही है न ही अन्य कोई क्लेमेन्ट है नाम दुरस्ती न करने से प्रार्थीया को असिम क्षति होगी एवं भारी कठिनार्ठयों का सामना करना पडेगा। जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेज से उसका नाम कस्तुरी पत्नी सुखलाल होना सिद्व है एवं उक्त इन्द्राज सहवन से हुआ है।

प्रार्थीया के जमाबन्दी व प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज में भिन्नता होने से उक्त गलती को सुधार ने हेतु तहसीलदार बांसवाडा से लिखित

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट मांगी गई हैं तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट के पत्रांक न्याय/2024/422 दिनांक 12.02.2024 के अनुसार प्रार्थिया का नाम मौझा छत्रसालपुर की जमाबंदी के खाता संख्या 21 खसरा संख्या 210 रकबा 3.05 बीघा लगान 2.44 भूमि में स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में कचरी के बजाय कस्तुरी दर्ज कराने हेतु रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1 यह है कि प्रार्थिया श्रीमती कस्तुरी पति सुखलाल कलाल हाल मुकाम 6/24 खांदु कॉलोनी बांसवाडा की निवासी होकर मौझा छ्सालपुर पटवार मंडल भापोर भू अभिलेख निरीक्षक वृत इिकरियर चालु जमाबंदी में खाता संख्या 21 खसरा संख्या 210 रकबा 3.05 बीघा लगान 2.44 रूपया में कचरी पति सुखलाल कलाल दर्ज रिकॉर्ड होकर खातेदार कृषक है।

2 यह है कि प्रार्थीया मौझा छत्रसालपुरा पटवार मंडल भापोर भू अभिलेख निरीक्षक वृत ठिकरिया चालु जमाबंदी में खाता संख्या 21 खसरा संख्या 210 रकबा 3.05 बीघा लगान 2.44 रूपया में कचरी पति सुखलाल कलाल के साथ पर अपना नाम कस्तुरी पति सुखलाल दर्ज कराना चाहती है।

3 यह है कि प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध कराए गए दसतावेज निम्न हैं जिनमें प्रार्थीया का नाम निम्नानुसार अंकित हैः–

1. जन आधार कार्ड संख्या 4788250285 में प्रार्थीया का नाम कस्तुरी पति सुखलाल अंकित है।
2. परिवार राशन कार्ड संख्या 00123 में प्रार्थिया का नाम कस्तुरी पति सुखलाल अंकित हैं।
3. भामाशाह कार्ड संख्या VRTSGY में प्रार्थीया का नाम कस्तुरी पति सुखलाल अंकित है।
4. भारत निर्वाचन आयेग के फोटो पहचान संख्या HKW/1692920 प्रार्थीया का नाम कस्तुरी पति सुखलाल है।
5. आधार कार्ड संख्या 896952418397 में प्रार्थीया का नाम कस्तुरी पति सुखलाल अंकित है।

इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों केअतिरिक्त 50/– का नोटेरी प्रमाणित एवं स्वयं के हस्ताक्षर युक्त शपथ कचरी पति सुखलाल कलाल के बजाय जमाबंदी में कस्तुरी पति सुखलाल अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र के साथा फर्द दस्तावेजजात में फोटो कॉपी पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड,वोटर आई डी, जमाबंन्दी आदि पेश किये हैं।

तहसीलदार तहसील बांसवाडा ने अपने पत्रांक न्याय/2024/422 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के जमाबंदी में कचरी पति सुखलाल दर्ज रेकॉर्ड हैं जबकि सभी दस्तावेजों में कस्तुरी पति सुखलाल दर्ज हैं। नाम सहवन से गलत इन्द्राज हेने से सही किया जाना उचित है। अतः उक्त कब्जे एवं खाते भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में कचरी पति सुखलाल के स्थान पर कस्तुरी पति सुखलाल दर्ज करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करी गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में नाम कचरी पति सुखलाल के स्थान पर कस्तुरी पति सुखलाल संशोधन करने हेतु आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है एवं भूमिदार तहसीलदार बासंवाडा को निर्णय की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि ऑनलाईन संशोधित कर न्यायालय के निर्णय को तामिल करावे।

(गोपाल लाल बंजारा)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner